

प्रेषक,

शंभु शरण भांप्र०स०,  
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),  
वीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:- आतरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-२०/०६/२०२५

विषय:- संजीवनी कार्यक्रम तथा अन्य IT संबंधित कार्यों के संचालन हेतु होने वाले व्यय एवं मानदेय के बकाया भुगतान हेतु राज्य योजना मद से राशि रु० १,५१,०५,०००/- (रूपये एक करोड़ इक्यावन लाख पाँच हजार) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष २०२५-२६ में रु० ३३,००,०००/- (रूपये तीस लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति ।

महाशय,

राज्य के आयुष समिति अन्तर्गत कार्यरत संस्थानों मे इस प्रणाली के माध्यम से वाह्य कक्ष में रोगियों का पजीकरण, दवाओं का वितरण आदि के कम्प्यूटरीकृत कार्य हेतु संजीवनी कार्यक्रम अन्तर्गत वाह्य स्रोत से ली जा रही डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (कम्प्यूटर उपस्कर सहित) एवं अन्य का भुगतान किया जाना है ।

२— राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना के पत्र संख्या-३५६(SASB), दिनांक-०६ ०६ २०२५ के द्वारा रु० १,५१,०५,०००/- (रूपये एक करोड़ इक्यावन लाख पाँच हजार) मात्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है ।

३— वर्णित स्थिति मे बजटीय उपबंधित राशि को देखते हुए संजीवनी कार्यक्रम तथा अन्य IT संबंधित कार्यों के संचालन हेतु होने वाले व्यय एवं मानदेय के बकाया भुगतान हेतु राज्य योजना मद से राशि रु० १,५१,०५,०००/- (रूपये एक करोड़ इक्यावन लाख पाँच हजार) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष २०२५-२६ मे रु० ३३,००,०००/- (रूपये तीस लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

४— इस राशि का वहन राज्य योजना अन्तर्गत माग संख्या-२०, मुख्य शीर्ष-२२१०-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-०२-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-अन्य चिकित्सा पद्धतिया लघु शीर्ष-००१-निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष-०१०१-संजीवनी कार्यक्रम (आयुष), विपत्र कोड-२०-२२१००२००१०१०१ अन्तर्गत विषय शीर्ष-२८-०२ सविदा सेवाये मद मे उपबंधित राशि से किया जाएगा ।

५— यह व्यायादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-२५६१/वि०(२), दिनांक-१७ ०४ ९८, २८८०/वि०(२), दिनांक-०६.०५.०६ एवं २९३८/वि०(२), दिनांक-०८ ०४ ०८, २१९९/वि०, दिनांक-२४ ०३ २०१७, ३७५८/वि०, दिनांक-३१ ०५ २०१७ एवं १२८८८/वि०, दिनांक-०३.१२.२०२४ के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है ।

६— इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे ।

७— अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी०टी०सी० फॉर्म-४६ मे तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अतरण के माध्यम से राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी०एल० एकाउन्ट स०-PBBPLA029 एवं विपत्र कोड-८४४८०१२०००८४ मे जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेगे ।

8— राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते मे प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र मे ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।

9— प्रारूप पर आतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति स०स०-७/बजट-४६-१८/२०२२ के पृष्ठ-१७/टि० पर प्राप्त है।

10— प्रस्ताव पर विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक दिनाक-१२.०६.२०२५ को ज्ञापाक-७९(७) दिनाक-१३.०६.२०२५ मे स्वीकृति प्राप्त है।

11— प्रस्ताव एवं प्रारूप पर अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

12— राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले मे महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

13— यह मात्र व्यादेश है, आवटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

१९.६.२५  
(शंभु शरण)  
सरकार के अपर सचिव।  
१९.६.२५

ज्ञापाक-

७९ (७)

/स्वा०, पटना, दिनाक-१०/०६/२०२५

प्रतिलिपि—योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य आयुष समिति, स्वास्थ्य भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशास्त्र पदाधिकारी, प्रशास्त्रा-७ एवं १६, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१९.६.२५  
सरकार के अपर सचिव।  
१९.६.२५